



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 801) पटना शुक्रवार 17 जुलाई 2026

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

14 जुलाई 2026

सं० 15/खा०-04-01/2025/247(15बी) स्वा०—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त निदेश के आलोक में राज्यान्तर्गत खाद्य संरक्षा अधिकारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-37(2) में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधीन जिला स्तर पर कार्यरत कुल-17(सत्रह) पदाधिकारियों/चिकित्सकों/कर्मियों, जिनके पास खाद्य संरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध है, को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु चयन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। तदालोक में विभाग स्तर से सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के उप नियम-2.1.3(1) की कंडिका-(iii) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक भाग लिया गया है।

2. उक्त प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात् नव चयनित कुल-17(सत्रह) खाद्य संरक्षा अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित स्तम्भ-4 के जिला में खाद्य संरक्षा अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति तथा स्तम्भ-5 के जिलों में अतिरिक्त प्रभार के आधार पर अगले आदेश तक निम्नवत् पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्रम संख्या	पदाधिकारी/चिकित्सक/कर्मि का नाम, मूल पद एवं वर्तमान पदस्थापन स्थल	गृह जिला	नव पदस्थापन स्थल/प्रतिनियुक्ति स्थल	अतिरिक्त प्रभार वाला कार्यक्षेत्र/जिला
1	2	3	4	5
1.	श्री ज्ञान प्रकाश स्वच्छता निरीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेगूसराय	पटना	खाद्य संरक्षा अधिकारी, शेखपुरा जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	जमुई जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
2.	श्री राकेश कुमार स्वच्छता निरीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हलसी लखीसराय	नालंदा	खाद्य संरक्षा अधिकारी, लखीसराय जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	खगड़िया जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
3.	डॉ० प्रवेन्द्र कुमार होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकरौल, बिहारशरीफ, नालंदा	पटना	खाद्य संरक्षा अधिकारी, नालंदा जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	नवादा जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
4.	श्री रामा स्वामी वेंकट रमण शर्मा वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी जिला मलेरिया कार्यालय, समस्तीपुर	बेगूसराय	खाद्य संरक्षा अधिकारी, समस्तीपुर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	दरभंगा एवं मधुबनी जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
5.	श्री संजीव कुमार स्वच्छता निरीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टेकारी, गया	अरवल	खाद्य संरक्षा अधिकारी, गया जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	
6.	श्री सुमन प्रकाश प्रखण्ड प्रसार पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परैया, गया	औरंगाबाद	खाद्य संरक्षा अधिकारी, अरवल जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	
7.	श्री राजहंस कुमार राजहंस स्वच्छता निरीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुलतानगंज, भागलपुर	खगड़िया	खाद्य संरक्षा अधिकारी, भागलपुर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	बाँका एवं कटिहार जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
8.	श्री हरे राम यादव स्वच्छता निरीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैशाली	समस्तीपुर	खाद्य संरक्षा अधिकारी, वैशाली जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	प० चम्पारण जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
9.	डॉ० विनोद कुमार सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, तेघड़ा, बेगूसराय	समस्तीपुर	खाद्य संरक्षा अधिकारी, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	सीतामढ़ी एवं शिवहर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
10.	डॉ० संजय चौधरी आयुष फिजिशियन, हेमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय अस्पताल, तेघड़ा, बेगूसराय	नालंदा	खाद्य संरक्षा अधिकारी, बेगूसराय जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	सहरसा एवं सुपौल जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल

11.	श्री धमेन्द्र कुमार स्वच्छता निरीक्षक ए० एन० एम० स्कूल, छपरा, सारण	पटना	खाद्य संरक्षा अधिकारी, छपरा जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
12.	डॉ० सुदीन कुमार सुमन हेमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संपतचक, पटना	समस्तीपुर	खाद्य संरक्षा अधिकारी, पटना जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	
13.	मो० अली गौहर स्वच्छता निरीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खगड़िया	सहरसा	खाद्य संरक्षा अधिकारी, मुंगेर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	पूर्णिया एवं मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
14.	डॉ० अंकुर कुमार श्रीवास्तव हेमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, सिवान	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	खाद्य संरक्षा अधिकारी, सिवान जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	गोपालगंज जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
15.	श्रीमती आभा रानी स्वच्छता निरीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काको, जहानाबाद	पटना	खाद्य संरक्षा अधिकारी, जहानाबाद जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	औरंगाबाद जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
16.	श्री रौशन कुमार सिंह, वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम	भोजपुर	खाद्य संरक्षा अधिकारी, रोहतास जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	कैमूर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल
17.	श्री जय प्रकाश गौतम, वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम	कैमूर	खाद्य संरक्षा अधिकारी, बक्सर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल	भोजपुर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल

3. खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-37(2) के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सभी 17 (सत्रह) नव चयनित खाद्य संरक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित पदस्थापन क्षेत्र एवं स्तम्भ-5 में अंकित अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यक्षेत्र/जिला के अन्तर्गत खाद्य संरक्षा अधिकारी के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। उक्त सभी खाद्य संरक्षा अधिकारियों को संपूर्ण बिहार राज्य क्षेत्र के अधीन/आवंटित कार्य क्षेत्र में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-38 तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-2.1.3 के उप नियम-4 के तहत प्रदत्त शक्तियों/कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिसूचित किया जाता है।

4. उक्त नव पदस्थापित/प्रतिनियुक्त सभी खाद्य संरक्षा अधिकारियों को निदेशित है कि अधिसूचित कार्य स्थल पर योगदान समर्पित करने के पूर्व वे इस आशय का शपथ-पत्र विभाग में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे कि उनका किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित शामिल नहीं है।

5. उक्त सभी खाद्य संरक्षा अधिकारियों को अपने आवंटित कार्यक्षेत्र के अधीन खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-1 के उप नियम-1.2.1(5) के तहत पंजीकरण प्राधिकारी (Registering Authority) के रूप में भी अधिसूचित किया जाता है।

6. उक्त सभी पदाधिकारियों/चिकित्सकों/कर्मियों के वेतनादि का भुगतान संबंधित जिला के अभिहित अधिकारी द्वारा निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर उनके मूलपदस्थापन जिला के असेनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

7. उक्त सभी खाद्य संरक्षा अधिकारी, खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के समग्र प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे। क्षेत्र पदस्थापन के दौरान उक्त सभी पदाधिकारी, संबंधित जिला के अभिहित अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे।

8. उक्त सभी अधिकारी द्वारा सिर्फ खाद्य संरक्षा अधिकारी के दायित्वों एवं कृत्यों का निर्वहन किया जायेगा।

9. आकस्मिक अवकाश/प्रतिबंधित अवकाश/विशेषावकाश की स्वीकृति संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति बिहार कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानानुसार विभाग स्तर से सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

10. उक्त पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति के आलोक में अधिसूचित खाद्य संरक्षा अधिकारियों द्वारा कार्य-भार लिये जाने के उपरांत संबंधित जिला/अनुमंडल के अधीन पूर्व से कार्यरत खाद्य संरक्षा अधिकारी अपने खाद्य संरक्षा अधिकारी के पदीय दायित्वों से स्वतः मुक्त समझे जायेंगे। इसके अतिरिक्त जिन जिलों में खाद्य संरक्षा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन नहीं किया गया है, उन क्षेत्र के अधीन पूर्व से कार्यरत खाद्य संरक्षा अधिकारी अपने आवंटित कार्यों के अतिरिक्त पूर्व की भाँति खाद्य संरक्षा अधिकारी के पदीय दायित्वों का निर्वहन अगले आदेश तक करते रहेंगे।

11. राज्यहित एवं जनस्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति पूर्णतः अस्थायी/वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किया गया है। भविष्य में खाद्य संरक्षा अधिकारी के मूल पद पर स्थायी नियुक्ति हो जाने के उपरांत उक्त अधिसूचना स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा संबंधित पदाधिकारी/चिकित्सक/कर्मि अपने मूल पद/पदस्थापन स्थल पर योगदान करने हेतु स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

12. उपर्युक्त आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

13. पूर्व से निर्गत एतद् संबंधी आदेश इस हद तक संशोधित/उत्क्रमित समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कुमार रवि,
सचिव, स्वास्थ्य-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 801-571+50-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>